13/2017 उदाराम प/उ खेराजराम बगैरा.

17.6.17 पत्रावली तलब की गई। वकील वादी की ओर से दिनांक 9.6.17 को प्रार्थना पत्र इस आंशय का पेश किया गया था। कि दस्तगत वाद मे अंतिम निर्णय 22.3.2017 को पारित किया गया। जिसके निर्णय पारित मे पश्चात नाम व डिक्री पर्चा मे प्रतिवादी नि. 03 के वारिसान के नाम इन्द्राज है। लेकिन डि. माँग विवरण मे क्र.सं. 03 पर मघाराम का ही नाम इन्द्राज किया गया है। जबकि प्रतिवादी नि. 03 फौत होने के कारण उनके वारिसान के नाम इन्द्राज होने चाहिए थे। जो उक्त निर्णय मे संशोधन करते हुए प्रतिवादी नं 03 के वारिसान के नाम इन्द्राज किया जावे।

इसने पत्रावली व मूल निर्णय दिनांक 22.3.17 का अवलोकन किया। जिसमे पाया कि डाँग विवरण मे क्र.सं. 03के आगे मघाराम का खाता विवरण की इन्द्राज है। जबकि मघाराम फौत होने के कारण उनके वारिसान का नाम आना चाहिए था। जो इन्द्राज नही है। जबकि वादी व प्रतिवादी के नाम व डिक्री पर्चा मे तो प्रतिवादी नि. 03 मघाराम

सहायक कलेक्टर
SDC सिवाना

.4445।

के वारिसान का नाम अंकित किया जाना

निगरानी आवेदन / वादी का आवेदन पत्र स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 22.3.12 मे अंकित क्र.सं. 03 के कॉलम के आगे कॉलम के (नाम खातेदारान) मानाराम ~~मानाराम~~ के स्थान पर उनके वारिसान 4/1 धुड़ाराम पुत्र मानाराम व 4/2 तुलछीदेवी पत्नि मानाराम का नाम अंकित किया जाता है। क्र.सं. 03 की ~~मानाराम~~ कॉलम के आगे के नाम खातेदारान का उक्त अनुसार संशोधन किया जाता है। शेष इन्द्राज पूर्वानुसार रहेगा। तहसीलदार जिम्मेदारी मानाराम के वारिसान की जांच ~~सूची~~ करते हुए, नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही करें। उक्त आदेश सह निर्णय दिनांक 22.3.12 का आवश्यक अंग रहेगा।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
17/6/12
सहायक कलक्टर,
SDC [illegible]

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री नाथूसिंह राठौड़,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–13/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादी
उदाराम पुत्र मेरामाराम जाति कुम्हार निवासी भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1.खैराजराम पुत्र आईदानराम 2. सेजाराम पुत्र आईदानराम 3. गैनाराम पुत्र आईदानराम जाति कुम्हार निवासी भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी 4. मानाराम पुत्र मेरामाराम के वारिशान 4/1. धूडाराम पुत्र मानाराम 4/2. तुलसीदेवी पत्नी मानाराम 5. पनाराम पुत्र प्रहलादराम जाति कुम्हार निवासी भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी 6. कुम्भाराम पुत्र जोधाराम 7. पूराराम पुत्र जोधाराम 8. रावताराम पुत्र जोधाराम 9. आसूराम पुत्र जोधाराम 10. वेहनाराम पुत्र जोधाराम 11 श्रीमती भीखी देवी पत्नी जोधाराम जाति कुम्हार निवासी भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी 12. मैनेजर एस.बी.बी.जे.शाखा भुंका भगतसिह 13.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– 1 श्री दलाराम चौधरी – वादीगण अधिवक्ता

2 एकरतफा–प्रतिवादीगण

<u>निर्णय</u>

दिनांक– 22.3.17

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

संक्षिप्त मे वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा–भुंका वगतसिह तहसील सिणधरी मे स्थित खेत भूमि खसरा नं. 49 रकबा 106–05 बीधा व खसरा सख्या 83 रकवा 86–08 बीधा भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 22.12.2011 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर उपतहसीलदार सिणधरी को मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। पक्षकारान अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक अंतिम डिक्री जारी करने की सहमति प्रकट की गई।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर भुंका वगतसिह तहसील सिणधरी मे स्थित खेत भूमि खसरा नं.49 रकबा 106–05 बीधा व खसरा सख्या 83 रकबा 86–08 बीधा भूमि में स्थित भूमि का विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदारान	ग्राम का नाम	खसरा नं0	रकबा (बीधा में)	किस्म भूमि	लगान (रू0)	नक्शा में अंकित रंग
1.	खेराजराम, सेजाराम, गेनाराम पिसरान आईदानराम कौम कुम्हार साकिन देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. शाखा भूंका भगतसिंह	भूंका वगतसिंह	49 83	21.05 17.06	बा.दो. बा.दो.	2.65 2.16	लाल
2.	उदाराम वल्द गेराजराम कौम कुम्हार साकिन देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. शाखा भूंका भगतसिंह	भूंका वगतसिंह	49 83	21.05 17.06	बा.दो. बा.दो.	2.65 2.16	बैगनी
3	मानाराम वल्द मेराजराम कौम कुम्हार साकिन देह खातेदार	भूंका वगतसिंह	49 83	21.05 17.05	बा.दो. बा.दो.	2.65 2.16	हरा
4.	पनाराम वल्द प्रहलादराम कौम कुम्हार साकिन देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. शाखा भूंका भगतसिंह	भूंका वगतसिंह	49 83	21.05 17.05	बा.दो. बा.दो.	2.65 2.16	गुलाबी
5.	कुम्भाराम वल्द जौधाराम 2/6, आसूराम 1/6, वेहनाराम 1/6, पूराराम 1/6 पिसरान जोधाराम, भीखीदेवी पत्नी जोधाराम 1/6 कौम कुम्हार साकिन देह खातेदार रहन	भूंका वगतसिंह	49	21.05	बा.दो.	2.66	पीला

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

	कुम्भाराम, पूराराम का हिस्सा एस.बी.बी.जे. शाखा भूंका भगतसिंह						
6.	कुम्भाराम, पूराराम, रावताराम, आसूराम, वेहनाराम पिसरान जोधाराम, भीखीदेवी पत्नी जोधाराम कौम कुम्हार साकिन देह खातेदार रहन कुम्भाराम, पूराराम का हिस्सा एस.बी.बी.जे. शाखा भूंका भगतसिंह	भूंका वगतसिंह	83	17.06	बा.दो.	02.16	पीला व आसमानी

तहसीलदार,सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें।संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे। राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमलदरामद करके राजस्व रिकॉर्ड की सत्यप्रतियों सहित पालना रिपोर्ट सक अवगत करावे। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.06.2013 के सलंग्न विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा ।

डिग्री पर्चा मुर्तिब हो । खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें ।

(हस्ताक्षर) 22/3/17

सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.)सिणधरी

सहायक कलक्टर

SDO सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 22/3/17 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 22/3/17

सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.)सिणधरी

सहायक कलक्टर

SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

अंतिम डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7,जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix "d"1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी बमुकाम सिणधरी
ब इजलास श्री नाथूसिंह राठौड़, **आर.ए.एस.**

वादी बनाम प्रतिवादी

उदाराम पुत्र मेरामाराम जाति कुम्हार निवासी भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

1.खैराजराम पुत्र आईदानराम 2. सेजाराम पुत्र आईदानराम 3. गैनाराम पुत्र आईदानराम जाति कुम्हार निवासी भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी 4. मानाराम पुत्र मेरामाराम के वारिशान 4/1. धूडाराम पुत्र मानाराम 4/2. तुलसीदेवी पत्नी मानाराम 5. पनाराम पुत्र प्रहलादराम जाति कुम्हार निवासी भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी 6. कुम्भाराम पुत्र जोधाराम 7. पूराराम पुत्र जोधाराम 8. रावताराम पुत्र जोधाराम 9. आसूराम पुत्र जोधाराम 10. वेहनाराम पुत्र जोधाराम 11 श्रीमती भीखी देवी पत्नी जोधाराम जाति कुम्हार निवासी भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी 12. मैनेजर एस.बी.बी.जे.शाखा भूंका भगतसिह 13. तहसीलदार सिणधरी

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान</u>

<u>**काश्तकारी अधिनियम 1955**</u>

राजस्व वाद स.–13/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री दलाराम चौधरी वकील मिनजानिब व एकरतफा प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं व डिकरी दी जाती हैं कि वादीगण का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 22.03.2017 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते हैं कि वह मुताबिक नामांतरकरण खोलकर बाद जांच तस्दीक करके नामांतरकरण पुस्तिका की पुस्त पर तरमीम अंकित कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करे।

बीज – मुबलिग – बाबत
खर्चा इस मुकदमे के मय सद व शरह ———फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ——— को अदा करे ।
बसख्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/3/17 को जारी की गई ।

22/3/17
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) सिणधरी
सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner